

आवेदन प्रपत्र
संस्कृति विभाग, उ०प्र०
उ०प्र० वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेशन योजना



1. प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम
2. प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता/पति का नाम
3. प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूरा स्थायी पता
4. तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उ.प्र. का निवासी है
5. आयु और जन्म दिनांक (प्रमाण पत्र संलग्न किये जाये)
6. प्रार्थी/प्रार्थिनी की समस्त स्रोतों से नियमित आय
7. आवेदक पर पूर्णता आश्रित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	नाम	उम्र	संबंध	पेशा	आय के स्रोत
1					
2					
3					

8. स्वयं पति/पत्नी अथवा बच्चों के नाम अथवा स्वामित्व में अचल सम्पत्ति यदि कोई हो?
9. किस विधा के कलाकार है?
10. कला के क्षेत्र में किये गये योगदान का विवरण।
11. क्या आवेदक को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अकादमी/संस्था से कोई वित्तीय सहायता/पेंशन मिली है? यदि मिली है तो उसकी राशि और वर्ष
12. सरकार या किसी प्रमुख कला सोसायटी संस्था से प्राप्त मान्यता अथवा सम्मान का विवरण।
13. उपलब्धियों का विवरण।
14. संगत क्षेत्र अथवा विशिष्टीकरण क्षेत्र से 03 संदर्भ व्यक्तियों के नाम जो आवेदक से सीधे ही संबंधित न हो।
15. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं? (यदि हां तो प्रमाण भी लगायें)
16. कोई अन्य संगत सूचना।

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही हैं। यदि कोई विवरण गलत हों, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है, वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जायें।

दिनांक

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- निम्न प्रमाण पत्र अवश्य लगायें तभी आवेदन पत्र पर विचार होगा :-

1. कलाकार होना सिद्ध करने वाले प्रमाण।
2. हाईस्कूल प्रमाण पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र।
3. तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
4. जिला प्रशासन की संस्तुति।
5. विशेष जानकारी/विवरण हेतु निदेशक, संस्कृति निदेशालय, नवम् तल जवाहर भवन, लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नम्बर -0522-2286538, 0522-2286609, 0522-2286672 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
निदेशक, संस्कृति, उ०प्र०